न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

पीठासीन अधिकारी श्री पुखराज कंसोटिया, RAS

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः– 55/2022

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
01.दीपक गहलोत पुत्र श्री प्रकाशसिह गहलोत जाति माली निवासी भदवासिया तहसील व जिला जोधपुर।		01.सोहनी पत्नि श्री दीपारामजी जाति जाट निवासी ग्राम सालावास तहसील लूणी जिला जोधपुर 02.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम ।

अधिवक्तागणः –

01.प्रार्थीगण की और से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा ।

02.अप्रार्थी संख्या एक की तरफ से श्री हनुमान प्रजापति (नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड)।

03. अप्रार्थी संख्या दो की तरफ से राजकीय अधिवक्ता ।

निर्णय दिनांक :– 21.6.2023

पत्रावली में बहस सुनी गयी । प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि वाके राजस्व ग्राम सालावास तहसील लूणी जिला जोधपुर मे खसरा संख्या 388/2 कुल रकबा 02 बीघा आयी हुई स्थित हैं जिसकी राजस्व नक्शें में भी तरमीम दर्ज हैं । प्रार्थी की कृषि भूमि के पूर्व दिशा की तरफ खसरा संख्या 388/3 की कृषि भूमि आयी हुई स्थित हैं जिसकी खातेदारी अप्रार्थी संख्या एक के नाम से हैं । प्रार्थी जोधपुर में भदवासियां में निवास करता हैं इस कारण से सालावास कम ही आना जाना रहता हैं । अप्रार्थी संख्या एक ग्राम सालावास की ही मूल निवासी हैं तथा प्रार्थी के खेत की पड़ौसी खातेदार हैं । प्रार्थी अपने खसरा संख्या 388/2 की कुल रकबा 02 बीघा कृषि भूमि पर चारदीवारी का निर्माण करवाने हेतु तहसीलदार लूणी के समक्ष आवेदन किया जिस पर तहसीलदार लूणी के आदेश से दिनांक 10.06.2022 को सीमाज्ञान कर मौका फर्द तैयार की गयी मौका फर्द रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी संख्या एक ने प्रार्थी के खसरें की सीमाओं पर स्थायी सीमाचिन्ह अंकित ही नहीं करने दिये एवं कहा किय यदि पत्थरगढ़ी करवानी हैं तो न्यायालय से आदेश करवाकर लाओं । सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 10.06.222 की प्रति संलग्न हैं । खसरा संख्या 388/2 व 388/3 की कृषि भूमि की मध्य सीमा राजस्व नक्शे अनुसार कायम नहीं होने से प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या एक के मध्य विवाद की स्थिति हो गयी हैं जिसका निस्तारण माननीय न्यायालय के आदेश से ही पत्थरगढ़ी करके ही किया जा सकता हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा श्रीमान के समक्ष वास्ते पत्थरगढ़ी हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश हैं । अंत में निवेदन किया कि ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा संख्या 388/2 की कुल रकबा 02 बीघा कृषि भूमि का सीमाज्ञान मौका रिपोर्ट दिनांक 10.06.2022 अनुसार पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश फरमाया जावें ।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थी संख्या एक की तरफ से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापति पेश हुए एवं जवाब हेतु समय मांगते रहें । दिनांक 21.06.2023 को अप्रार्थी अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापति ने अपनी तरफ से नो इन्स्ट्रक्शन पेश कर दिया । तहसीलदार लूणी से जवाब एवं मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गयी जिस पर तहसीलदार लूणी द्वारा जरिये क्रमांक/भू.अ. /23/899 दिनांक 21.06.2023 को जवाब/मौका रिपोर्ट पेश किया गया । जिससे अनुसार मौका फर्द दिनांक 10.06.2022 को सीमाज्ञान करवाया गया । उक्त फर्द मौका अनुसार प्रार्थी के खसरा संख्या 388/2

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

Scanned by CamScanner

रकबा 02 बीघा का हल्का पटवारी द्वारा लटठा नक्शा में तरमीम अनुसार सीमाज्ञान किया गया । उक्त मौका फर्द अनुसार इसमें अंकित नजरी नक्शा में एबीसीडी भूमि पर पड़ौसी खातेदार सोहनी पत्नी दीपाराम का विवाद बताया गया एवं पटवारी सालावास द्वारा खसरा संख्या 388/2 की रकबा 02 बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी किये जाने की अनुशंषा की गयी ।

पत्रावली में बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया । चूंकी प्रार्थी खसरा संख्या 388/2 कुल रकबा 02 बीघा की खातेदार हैं एवं अप्रार्थी संख्या एक खसरा संख्या 388/3 की खातेदार हैं जिनकी राजस्व नक्शें में भी अलग अलग तरमीम दर्ज हैं । चूंकी उक्त खसरा संख्या 388/2 का सीमाज्ञान मौका फर्द दिनांक 10.06.2022 को किया जा चुका हैं । अप्रार्थी संख्या एक अपनी खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 388/3 की तरमीम सुदा भूमि एवं खातेदारी में दर्ज रकबे की भूमि की ही हकदार हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं ।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थी की कृषि भूमि वाके राजस्व ग्राम सालावास, तहसील लूणी के खसरा संख्या 388/2 कुल रकबा 02 बीघा की पत्थरगढ़ी मौक फर्द दिनांक 10.06.2022 अनुसार पत्थरगढ़ी की जावें एवं अप्रार्थी संख्या एक की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 388/3 की भूमि मौके पर पूरी करने के पश्चात प्रार्थी को सुपुर्द कर स्थायी पत्थरगढ़ी की जावें । अन्य अनुतोष प्राप्त करने हेतु प्रार्थी सक्षम न्यायालय मे कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। आदेश सुनाया गया । पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो । आदेश की पालनार्थ तहसीलदार लूणी सम्बन्धित थानाअधिकारी को तहरीर जारी हों ।

(पुखराज कसोंटिया)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner